

प्रकरण क्रमांक W0 518422

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003

आदेश क्रमांक 232 / विउशिनिफो / इंदौर / 22

प्रकरण क्रमांक W0 518422

विषय :- भुगतान कर दी गई राशि की पुनः रु. 34200 /- की मांग को निरस्त करने विषयक।

श्री देवकरण मोतीलाल राठौर, —————परिवादी
रेल्वे स्टेशन तराना, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (सं/सं) संभाग मप्रपक्षेविविकंलि.तराना ———उत्तरदाता
आदेश

(आज दिनांक 20.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी स्वयं उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकंलिमि. की ओर से श्री महेश वर्मा कनिष्ठ यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी का श्री फेज 8 एच.पी. क्षमता के औद्योगिक विद्युत कनेक्शन क. 3614702-TU21-4-7852125333 है, का विभाग अधिकारी द्वारा दि.05.01.2018 के पूर्व 12 माहों की अवधि का स्वीकृत भार से 4.8 किलोवॉट अधिक भार के आधार पर अतिरिक्त राशि रु. 34200 /- का मांग पत्र दिया गया है जो कि अनुचित है। परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर का वाचन प्रतिमाह किया गया है। निरीक्षण दि.05.01.2018 के पूर्व 12 माह की अवधि में मीटर वाचन अनुसार अधिक रिकार्ड की गई एमडी. का पैनल बिल टेरिफ प्रावधान के अनुसार ही जोड़कर जारी किया गया है। अतः भुगतान की गई राशि का पुनः मांग पत्र जारी किये जाने से वह स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः कृपया उक्त राशि निरस्त कर प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे।

परिवादी ने परिवाद के साथ संबंधित विपक्ष अधिकारी— कार्यपालन यंत्री (सं/सं) संभाग मप्रपक्षेविविकंलि.तराना को प्रेषित आवेदन पत्र दि.23.03.2022, कार्यपालन यंत्री (सं/सं) संभाग मप्रपक्षेविविकंलि.तराना द्वारा जारी अनंतिम आदेश दि. 05.01.2018 एवं मासिक विद्युत बिल माह नवंबर 2017 भुगान राशि रु.7982/— दि. 12 दिसंबर 2017 की छाया प्रतियां संलग्न की है।

2.विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के संदर्भ में परिवादी ने परिवाद अनुसार ही अपना लिखित कथन दि. 23.08.2022 प्रस्तुत कर यह तर्क दिया है कि 10.8. किलोवॉट भार संयोजित उपकरणों का न होकर मीटर द्वारा रिकार्ड एमडी. का है।

मीटर के प्रतिमाह किये गये वाचन अनुसार ही रिकार्ड एमडी का टेरिफ आदेशानुसार पेनल बिलिंग किया जा कर वसूली की गई है। टेरिफ नियम एवं शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न की गई है।

मासिक बिल विवरण की प्रति परिवादी को दि. 16.08.2022 को उपलब्ध करवाई गई है जो कि विपक्ष द्वारा बनाये गये पंचनामें दि. 05.01.2018 के पूर्व 12 माह की अवधि की है।

अतः उक्त रिकार्ड एमडी अनुसार जारी बिलों का भुगतान परिवादी के द्वारा किया जा चुका है अतः पुनः बिलिंग राशि रु.34200/— नियम विरुद्ध है।

समान अवधि में दो बार बिलिंग किया जाना टेरिफ नियमों के विरुद्ध है।

उक्त सत्यता को नकारते हुए नियम विरुद्ध कार्यवाही की जाना दुर्भावनापूर्ण है।

परिवादी के कनेक्शन का भार विद्युत वितरण कंपनी के मीटर द्वारा रिकार्ड की गई एमडी के आधार पर स्वीकृत तथा संयोजित भार 8 एच पी. को 17 एच.पी. में परिवर्तन कर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रदाय राशि रु. 8893/— परिवादी के माह अक्टूबर 2020 के बिल में जोड़ कर विभागीय औपचारिकतायें पूर्ण किया जाना इसका मुख्य प्रमाण है।

अतः उक्त राशि समाप्त की जावे।

विपक्ष का कथन :—

परिवादी का थ्री फेज 8 एच.पी. क्षमता के औद्योगिक विद्युत कनेक्शन क. 3614702—TU21—4—7852125333 है, का चैकिंग दिनांक के विगत कई

प्रकरण क्रमांक W0 518422

माहों से स्वीकृत भार से अधिक भार रिकार्ड होने के कारण परिवादी को इसकी सूचना देकर भार वृद्धि हेतु अवगत कराने के बावजूद भी उनके द्वारा विभागीय कार्यालय में नियमानुसार आवेदन नहीं दिये जाने के पश्चात् इनके कनेक्शन का निरीक्षण करने पर सम्बद्ध भार 10.8. किलोवॉट, अर्थात् स्वीकृत भार से 4.84 किलो वॉट अधिक पाये जाने के कारण पंचनामा क. 3580/08 दि.05.01.2018 को बनाकर, मौके पर परिवादी उपभोक्ता के हस्ताक्षर लिये गये तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत निर्धारण आदेश राशि रु. 34200/- परिवादी को पंजिकृत डाक से प्रेषित किया गया। किंतु परिवादी के द्वारा ना तो कोई राशि कार्यालय में जमा करवाई गई और ना ही भार वृद्धि हेतु नियमानुसार कार्यवाही की गई।

उक्त निर्धारण आदेश के संदर्भ में कोई राशि जमा नहीं किये जाने के कारण, दि. 25.04.2018 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अंतर्गत एक सूचना पत्र परिवादी को पंजिकृत डाक से प्रेषित किया गया जिसका पालन परिवादी के द्वारा नहीं किया गया और इस प्रकार इनके द्वारा कंपनी के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः इनके विरुद्ध बनाये गये पंचनामों की निर्धारण आदेश की राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण उक्त राशि वसूली हेतु माननीय विशेष न्यायालय तराना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जो कि माननीय न्यायालय में प्रकरण क. 275/2019 पर दर्ज होकर विचाराधीन है।

विपक्ष ने जवाबदावे के साथ पंचनामा, अनंतिम निर्धारण आदेश तथा कनेक्शन की एचवीसीएमएस रिपोर्ट माह मार्च 2017 से माह अक्टूबर 2019 तक की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है।

विधिक प्रावधान:-

म.प्र.विद्युत नियामक आयोग:-

उपभोक्ताओं की "निकायत के निराकरण हेतु फोरम तथा लोकपाल की स्थापना पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009

2.4

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(M) "निकायत " से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी उपभोक्ता की निकायत को पंजिकृत करने अथवा उसका निराकरण न करने में विफलता के फलस्वरूप उपभोक्ता की असंतुष्टि तथा इसमें सम्मिलित होगा किसी

प्रकरण क्रमांक W0 518422

शिकायत के संबंध में उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के मध्य कोई विवाद अथवा प्रभावित व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत के संबंध में अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई कार्यवाही। तथापि, अधिनियम के निम्न उपबंधों के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषय इन विनियमों के अंतर्गत शिकायत नहीं माने जायेंगे:—

(i) विद्युत के अनाधिकृत उपयोग जैसा कि अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है,

(ii) अपराध अथवा अर्थदंड जैसा कि अधिनियम की धारा 135 से 139 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है

3.35

उपरोक्त के होते हुए भी, फोरम विद्युत अधिनियम के भाग दस, ग्यारह, बारह, चौदह एवं पंद्रह सहित आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष विद्यमान या प्रस्तावित कार्यवाहियों से संबंधित किसी विषय-वस्तु के अभ्यावेदन ग्रहण नहीं करेगा।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :—

परिवादी के द्वारा, भुगतान कर दी गई बिल राशि रु. 34200/— की पुनः की गई मांग को निरस्त करने हेतु परिवाद दर्ज करवाया है।

विपक्ष ने कथन किया है कि परिवादी के कनेक्शन का निरीक्षण करने पर, सम्बद्ध भार 10.8 किलोवॉट, अर्थात् स्वीकृत भार से 4.84 किलोवॉट अधिक पाये जाने के कारण पंचनामा क. 3580/08 दि. 05.01.2018 को बनाकर, धारा 126 के अंतर्गत अनंतिम निर्धारण आदेश राशि रु. 34200/— का जारी किया गया है। माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण क. 275/2019 पर दर्ज होकर, विचाराधीन है।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि प्रकरण माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण क. 275/2019 पर दर्ज होकर, विचाराधीन होने के कारण, विधिक प्रावधान 2.4 (M) (i) ii तथा 3.35 के अनुसार परिवादी की शिकायत फोरम में सुनवाई की पात्रता नहीं है। अतः प्रकरण को समाप्त किया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में किये गये उल्लेखानुसार, प्रकरण माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण क. 275/2019 पर दर्ज होकर, विचाराधीन होने के कारण, विधिक प्रावधान 2.4 (M) (i) ii तथा 3.35 के अनुसार परिवादी की शिकायत फोरम में सुनवाई की पात्रता नहीं है। अतः प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल कट्ठर),
सदस्य

(एन.एस.मंडलोई),
सदस्य

(व्ही.के.गोयल)
अध्यक्ष